

GOVERNMENT OF INDIA / भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS / रेल मंत्रालय
(Railway Board)

S. No. PC-VI/214
No. PC-V/2008/ACP/2


RBE No. 96/2010
New Delhi, dated 7.7.2010

The General Manager/OSDs/CAO(R)
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub: Dynamic ACP Scheme for the officers of the Indian Railway Medical Service

With reference to Board's letter of even number dated 7.1.2009 on the above subject, and pursuant to several references received from IRMS officers seeking clarification regarding the admissibility of benefits associated with the higher grade allotted to them under the DACP Scheme, such as issue of Silver Pass, etc., the matter has been examined and it is clarified that since an upgradation earned by the IRMS officers under the Dynamic ACP Scheme has all the attributes of a regular promotion, all benefits (including Silver Pass) which are available to IRMS officers on regular promotion, may also be allowed to them on grant of higher Grade Pay earned under the DACP Scheme.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
3. Hindi version *is enclosed.*



(N. P. Singh)

Dy. Director/ Pay Commission-V
Railway Board

No. PC-V/2008/ACP/2

New Delhi, dated 7.7.2010

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.



For Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/214-
सं. पीसी-V/2008/एसीपी/2

आरबीई सं. 96/2010
नई दिल्ली, दिनांक: 7.07.2010

महाप्रबंधक/विशेष कार्याधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)।

**विषय: भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अधिकारियों के लिए डायनैमिक सुनिश्चित
कैरियर प्रोन्नयन योजना।**

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 07.01.2009 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में तथा भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अधिकारियों से प्राप्त कई पत्रों, जिनमें डायनैमिक सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उन्हें आर्बिट्रि उच्चतर ग्रेड से संबद्ध लाभों जैसे सिल्वर पास आदि जारी करने के मुद्दों की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है, के अनुसरण में मामले की जांच की गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि डायनैमिक सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित अपग्रेडेशन में नियमित पदोन्नति के सभी लाभ उपलब्ध होते हैं, इसलिए भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अधिकारियों को नियमित पदोन्नति पर उपलब्ध सभी लाभ (सिल्वर पास सहित), डायनैमिक सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अर्जित उच्चतर ग्रेड पे प्रदान करने पर भी उपलब्ध होंगे।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(एन.पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड